भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
14.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1318 का उत्तर

भारत गौरव योजना

1318. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत गौरव योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत सेवा का परिचालन शुरू कर दिया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत और अधिक सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): भारतीय रेल ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट गाडियों के माध्यम से भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाने के उद्देश्य से 23.11.2021 को 'भारत गौरव गाड़ियों की नीति जारी की थी। इस नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- ऑनलाइन पोर्टल में सेवा प्रदाताओं द्वारा पंजीकरण और रेक के लिए अनुरोध का प्रस्ताव करना।
- प्रति रेक की प्रतिभूति जमा राशि 1 करोड़ रु.।

- व्यक्ति, साझेदारी फ़र्म, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, संयुक्त उद्यम और संघ इसके पात्र हैं।
- एक रेक में न्यूनतम 14 और अधिकतम 20 कोच होंगे।
- अधिसूचित लागू प्रभारों यथा उपयोग का अधिकार प्रभारों, ढुलाई प्रभारों, स्टेब्लिंग प्रभारों का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।
- थीम आधारित नवीनीकरण/लघु आशोधनों की अनुमति होगी।
- भारतीय रेल सवारी डिब्बों का स्वामित्व अपने पास रखेगा और वह सवारी डिब्बों के रखरखाव और स्टेब्लिंग सुविधाओं सहित परिचालनिक सहायता प्रदान करेगा।
- सेवा प्रदाता को यात्रा कार्यक्रम, विषय, पैकेज की लागत का निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
- सेवा प्रदाता को रेल यातायात, रहने का स्थान, भोजन, स्थानीय सड़क यातायात, पर्यटन की सुविधा आदि सहित व्यापक पैकेज प्रदान करना होगा।
- ब्रांडिंग और विज्ञापन के अधिकारों की अनुमति होगी।

(ख) और (ग): भारत गौरव गाड़ियों की योजना के लिए निधि आवंटित करने की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि यह राजस्व सृजन मॉडल पर आधारित है।

(घ) से (छ): इस नीति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को भारत गौरव गाड़ियों के परिचालन के लिए थीम/यात्रा कार्यक्रम का निर्णय लेने की पूरी छूट है। तमिलनाडु सहित भारतीय रेल में सेवा प्रदाताओं द्वारा भारत गौरव गाड़ियां चलाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कोई अन्य अतिरिक्त ट्रिप बाज़ार की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

वित्त वर्ष 2022-23 (30.11.2022 तक) में, तमिलनाडु राज्य से विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा भारत गौरव गाड़ियों के कुल 10 ट्रिप परिचालित किए गए हैं।

****